रेलवे बोर्ड के नई नीति के अनुसार सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मरीज की विज़िट प्रक्रिया

रेलवे बोर्ड की नवीनतम नीति के अनुसार रेलवे अस्पताल द्वारा जारी किए गए नियमित रेफरल के आधार पर कोई मरीज किसी सूचीबद्ध (Empanelled) निजी अस्पताल में जाकर अपना इलाज पूरा करने की प्रक्रिया

🟢 महत्वपूर्ण सूचना:

🔷 किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में इलाज प्राप्त करने के लिए मरीज के पास UMID कार्ड होना अनिवार्य है।

❌ यदि वैध UMID कार्ड नहीं है, तो मरीज इलाज के लिए पात्र नहीं होगा।

📱 साथ ही, मरीज को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तक पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि इलाज शुरू करने से पहले OTP की सत्यापन आवश्यक होता है।

🏥 चरण-दर-चरण प्रक्रिया:

1. रेलवे अस्पताल जाएं।

   यदि डॉक्टर आपको निजी सूचीबद्ध अस्पताल में रेफर करते हैं, तो आपको HMIS मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रेफरल लेटर प्राप्त होगा।

2. HMIS मोबाइल ऐप खोलें और लॉगिन करें।
3. यदि आप एक से अधिक परिवार सदस्य का प्रबंधन कर रहे हैं, तो “Switch Patient” विकल्प का उपयोग करके सही मरीज चुनें।

4. “Health Records” सेक्शन में जाएं और “Referral Letters” पर टैप करें।
5. यहां उस मरीज के लिए जारी रेफरल लेटर्स की सूची मिलेगी:
   - यदि रेफरल उपयोग नहीं हुआ है, तो स्टेटस होगा “New Request”
   - इलाज पूरा होने पर स्टेटस बदलकर “Consumed” हो जाएगा।

📄 आप “Click to Download” पर टैप कर के रेफरल लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं।

🔔 नोट: रेफरल लेटर में किसी विशेष अस्पताल का नाम नहीं होता, जिससे मरीज सूची से किसी भी उपयुक्त सूचीबद्ध अस्पताल का चयन कर सकता है।

🗣️ इलाज के बाद, अस्पताल की सेवा पर अपना फीडबैक अवश्य दें, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर की जा सके।

🔍 सूचीबद्ध अस्पताल कैसे खोजें:

1. ऐप के Enquiry सेक्शन तक स्क्रॉल करें।
2. “Empanelled HCOs Directory” पर क्लिक करें, जहां सभी अधिकृत निजी अस्पतालों की सूची मिलेगी।
3. आप सूची को निम्न के आधार पर फिल्टर कर सकते हैं:
   - स्पेशियलिटी (विशेषता)
   - शहर
   - अस्पताल का नाम
4. जो अस्पताल आपकी बीमारी से संबंधित सेवा दे रहा हो, उसे चुनें और वहां विज़िट करें।

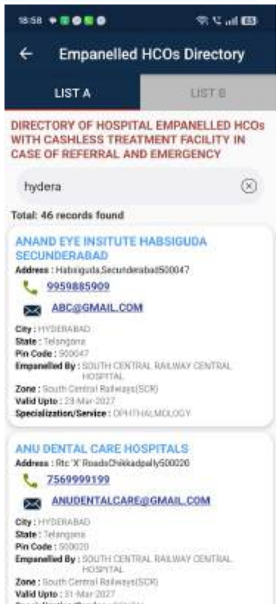

🏥 सूचीबद्ध अस्पताल में मरीज को क्या करना है:

1. अपना UMID कार्ड दिखाएं या UMID नंबर प्रदान करें।
2. अस्पताल, HMIS रेफरल पोर्टल में आपके UMID नंबर से जानकारी खोजेगा और अप्रयुक्त (Unconsumed) रेफरल लेटर प्राप्त करेगा।
3. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
    - OTP साझा करें, जिससे अस्पताल आपके पहचान और रेफरल की पुष्टि कर सके।
4. सत्यापन के बाद, अस्पताल इलाज स्वीकृति (Treatment Acceptance) अनुरोध पोर्टल पर भेजेगा।
5. इसके बाद, आपको एक और OTP मिलेगा, जिससे आप इलाज की सहमति (Consent) देंगे।

✅ जैसे ही आप दूसरा OTP प्रदान करेंगे, रेफरल Consumed हो जाएगा और अस्पताल आपका इलाज शुरू कर सकेगा।

🚨 आपातकालीन स्थिति में क्या करें:

1. आपात स्थिति में, आप सीधे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जा सकते हैं।
2. UMID नंबर प्रदान करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
3. सत्यापन के बाद, अस्पताल आपातकालीन रेफरल अनुरोध रेलवे प्रशासन को पोर्टल के माध्यम से भेजेगा।
4. आपके मूल रेलवे अस्पताल के CMS या MD को SMS अलर्ट भेजा जाएगा, जिससे वह स्वीकृति जल्दी दे सकें।
5. इस दौरान, अस्पताल इलाज प्रारंभ कर सकता है और रेलवे प्रशासन जल्द ही उस रेफरल को स्वीकृति दे देगा।

📋 डिस्चार्ज प्रक्रिया:

इलाज पूरा होने के बाद, मरीज की डिस्चार्ज रिपोर्ट और केस क्लोजिंग की प्रक्रिया ereferral पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से की जाएगी।

🎉 HMIS प्लेटफॉर्म और नई रेलवे गाइडलाइंस के साथ यह रेफरल और इलाज की प्रक्रिया बेहद आसान, तेज और पारदर्शी हो गई है।

🛠 तकनीकी सहायता के लिए संपर्क करें:

📞 फोन: 040-27788200

📧 ईमेल: supporthmis@railtelindia.com

HMIS और UMID रेफरल सिस्टम के जरिये हम आपके स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक तेज़, सरल और प्रभावशाली बनाएंगे।